फर्द अहकाम

संजू बनाम कैलाशचन्द व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 70/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	17/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। वादी की ओर से गत आदेशानुसार पालनार्थ तलबी प्रतिवादी-1, प्रार्थनापत्र कायम मुकाम प्रतिवादी-4, प्राप्ति रिपोर्ट स्टे.नोटिस प्रतिवादीगण 06, 08, 10, 11 प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रतिवादीगण सं. 2,3,5,9 की ओर से प्रार्थनापत्र धारा 151 बाबत वादी द्वारा भूमि वादग्रस्त में उनके अधिकार हिस्से सम्पूर्ण का विक्रय (प्रतिवादी 3 को) कर दिये जाने से वादी का कोई वाद हेतुक विवादक शेष नहीं रहने से वाद प्रभावशून्य होने के आधार पर खारिज किए जाने हेतु पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की प्रति अधिवक्ता वादी को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थनापत्र धारा 151 व अग्रिम कार्यवाही पूर्वानुसार दिनांक 24/04/25 को पेश हो। Sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	24/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादी उपस्थित। वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी की ओर से गत आदेशानुसार पालनार्थ तलबी प्रतिवादी-1, प्रा.पत्र कायम मुकाम प्रतिवादी-4 प्राप्ति रिपोर्ट [illegible] 06, 08, 10, 11 की तथा वा[illegible] प्रार्थनापत्र धारा [illegible] अब तारीख/[illegible] से खारिज किया जाने का [illegible] नहीं किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादी को	P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:57:06 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

संजू बनाम कैलाशचन्द व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 70/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	24/4/25	बहस प्रार्थनापत्र धारा 151 बाबत वाद खारिज किए जाने पर सुनी गई। प्रार्थी प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि वादी की ओर से वादग्राम लदाना तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.रा.नं. 210, 212, 214/321, 217/320 कुल रकबा किता 4 कुल रकबा 2.17 हे० के विधिक विभाजन बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके अन्तर्गत भूमि वादग्रस्त में वादी का कुल 0.56 हिस्सा निहित/दर्ज अंकित है। वादी द्वारा अपना उक्त सम्पूर्ण हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24/03/25 के प्रतिवादी सं. 3 को किया जा चुका है जिसका विधिवत पंजीयन दिनांक 26/3/25 को पंजीबद्ध कर दिया गया है (उक्त संबंध में पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है तथा प्रति भी अधिवक्ता वादी को दिलाई गई है) जिसकी सत्यता पर कोई संदेह नहीं है, ना ही अप्रार्थी वादी द्वारा प्रार्थनापत्र व प्रस्तुत विक्रय पत्र का कोई कोई औपचारिक/विधिक खंडन ही प्रस्तुत किया गया है अतः जिसे भूमि विक्रय कर दिये जाने से अब वादी को कोई वाद हेतुक/विवादग्रस्त वाद के प्रति शेष नहीं रहा है अतः वाद वादी अब सारहीन व प्रभावहीन होने से खारिज फरमाया जावे। हमने प्रार्थी प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25/3/25 का गहनतापूर्वक अवलोकन किया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

संजू बनाम कैलाशचन्द व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

70/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
24/4/25	पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा स्थित वादग्रस्त में अपने निहित सम्पूर्ण हिस्से को कर का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र वादग्रस्त किया गया है। जिससे भूमि वादग्रस्त में वादी का अब कोई हक अधिकार/हिस्सा/हित शेष नहीं रहा है। ना ही वादी को अब कोई अनुतोष वांछनीय है। वादी द्वारा उक्त संदर्भ में ना ही वादी द्वारा कोई तथ्य/खंडन बावजूद जानकारी के प्रस्तुत किया गया है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाकर वाद वादी अब सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:57:06 IST
Reason: SelfAttested